



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 09 अप्रैल, 2026 ई०

चैत्र 19, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग-03

संख्या- 979/IV(3)/2026-11(3 निर्वा0)/2024 TC-I

देहरादून, 09 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (1) में नगर पालिकाओं में स्थानों के आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रावधान है:-

(1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किये जा सकेंगे।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जैसा कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।

(5) खंड (1) और (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण तथा खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (महिलाओं के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

2- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-278/2022 सुरेश गहाजन बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 10.05.2022 के अनुपालन में राज्य के भीतर प्रति स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच हेतु श्री बी0एस0 वर्मा, सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की संस्तुतियों तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 9 क की उपधारा (5) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2024, भारत के संविधान की संगत धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगरपालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर में सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु अध्यक्ष पद का आरक्षण एवं आबंटन के उद्देश्य से पूर्व प्रकाशित प्रारूप/अधिसूचना संख्या 856/IV(3)/2026-11(3 निर्वा0)/2024 TC-I, दिनांक 27.03.2026 के क्रम में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को आदेश संख्या 977/IV(3)/2026-11(3 निर्वा0)/2024 TC-I, दिनांक 09.04.2026 द्वारा निस्तारित किये जाने के उपरान्त नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष पद का निम्नवत् आरक्षण एवं आबंटन निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, जिला- टिहरी गढ़वाल में अध्यक्ष पद का आरक्षण एवं आबंटन		
क्र0सं0	नगर पालिका परिषद् का नाम	अध्यक्ष पद का आबंटन/आरक्षण
1.	नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर	अनारक्षित

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,

उप सचिव।